



उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय Uttarakhand Open University

Ref. No. UOU/12/काप्र/पर/10/2024

Date 04/03/2024

सेवा में,

1. प्रोफेसर श्रीकान्त मोहापात्रा, सम-कुलपति, इन्दिरा गॉंधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, मैदानगढ़ी, नई दिल्ली।
2. प्रोफेसर डी0पी0 त्रिपाठी, प्रोफेसर-वास्तुशास्त्र, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।
3. डॉ0 राकेश चन्द्र रस्तोगी, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, खटीमा फाईबर्स लि0, उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड।
4. श्री त्रिलोक सिंह चीमा, निदेशक-चीमा पेपर्स लि0, बाजपुर रोड, काशीपुर, उधमसिंह नगर।
5. डॉ0 चन्द्र दत्त सूँठा, निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी (नामित प्रतिनिधि-प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून)।
6. प्रोफेसर मनरूप सिंह मीणा, सम-कुलपति, इन्दिरा गॉंधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली (नामित प्रतिनिधि कुलपति, इम्नू, नई दिल्ली)।
7. प्रोफेसर पी0डी0 पंत, निदेशक, भौमिकी एवं पर्यावरण विज्ञान विद्याशाखा/कुलसचिव, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
8. प्रोफेसर रेनु प्रकाश, निदेशक, मानविकी विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
9. प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पाण्डे, निदेशक, समाज विज्ञान विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
10. डॉ0 एम0एम0 जोशी, सह-आचार्य, इतिहास, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
11. डॉ0 भानु प्रकाश जोशी, सहायक आचार्य, योग, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
12. प्रोफेसर सोमेश कुमार, परीक्षा नियंत्रक, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी (आमंत्रित सदस्य)।
13. श्रीमती आभा गर्खाल, वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी (आमंत्रित सदस्य)।

महोदय/महोदया,

दिनांक 07 मार्च, 2024 (गुरुवार) को सम्पन्न उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की 40वीं बैठक का कार्यवृत्त संलग्न कर प्रेषित है। कार्यवृत्त में यदि कोई संशोधन हो तो, कृपया अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि कार्यवृत्त की पुष्टि के समय प्रस्तावित संशोधन को संज्ञान में लेते हुए यथा आवश्यक परिवर्तन/संशोधन किया जा सके।

सादर,

भवदीय,

(प्रोफेसर पी0डी0 पंत)

कुलसचिव/ सदस्य सचिव, कार्य परिषद

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, माननीय श्री राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को माननीय कुलाधिपति जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. कुलपति जी के निजी सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

(प्रोफेसर पी0डी0 पंत)

कुलसचिव/ सदस्य सचिव, कार्य परिषद

दिनांक 07 मार्च, 2024 (गुरुवार) को माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में प्रातः 11.30 बजे विश्वविद्यालय सभागार में सम्पन्न कार्य परिषद की 40वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्न ने प्रतिभाग किया:-

1. प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह नेगी, अध्यक्ष
कुलपति,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
2. प्रोफेसर श्रीकान्त मोहापात्रा, सदस्य
सम-कुलपति
इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, मैदानगढ़ी, नई दिल्ली।
(वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिभाग किया गया)
3. प्रोफेसर डी0पी0 त्रिपाठी, सदस्य
प्रोफेसर-वास्तुशास्त्र,
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
(वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिभाग किया गया)
4. प्रोफेसर मनरूप सिंह मीना, सदस्य
सम-कुलपति,
इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
(प्रतिनिधि-कुलपति, इन्. नई दिल्ली)।
5. डॉ0 चन्द्र दत्त सूँठा, सदस्य
निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी
(प्रतिनिधि-प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून)
6. प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पाण्डे, सदस्य
निदेशक,
समाज विज्ञान विद्याशाखा,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
7. प्रोफेसर रेनू प्रकाश, सदस्य
निदेशक,
मानविकी विद्याशाखा,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।


Registrar
Uttarakhand Open University
Haldwani (Nainital)

1


कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

- | | | |
|-----|--|----------------|
| 8. | डॉ0 एम0एम0 जोशी,
सह-आचार्य, इतिहास,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी। | सदस्य |
| 9. | डॉ0 भानु प्रकाश जोशी,
सहायक आचार्य, योग,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी। | सदस्य |
| 10. | प्रोफेसर पी0डी0 पंत,
निदेशक,
भौमिकी एवं पर्यावरण विज्ञान विद्याशाखा/कुलसचिव,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी। | सदस्य सचिव |
| 11. | श्रीमती आभा गर्खाल,
वित्त नियंत्रक,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी। | आमंत्रित सदस्य |
| 12. | प्रोफेसर सोमेश कुमार,
परीक्षा नियंत्रक,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी। | आमंत्रित सदस्य |

सर्वप्रथम कुलसचिव/सदस्य सचिव, कार्य परिषद द्वारा कुलपति, अध्यक्ष, कार्य परिषद तथा सभी उपस्थित सदस्यों/आमंत्रित सदस्यों का कार्य परिषद की 40वीं बैठक में स्वागत किया गया।


तद्क्रम में माननीय कुलपति जी द्वारा बैठक में उपस्थित बाह्य सदस्य- प्रोफेसर मनरूप सिंह मीना, डॉ0 चन्द्र दत्त सूँठा एवं ऑनलाइन माध्यम से बैठक में उपस्थित प्रोफेसर श्रीकान्त मोहापात्रा तथा प्रोफेसर डी0पी0 त्रिपाठी का विशेष आभार व्यक्त करते हुए बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों/आमंत्रित सदस्यों का कार्य परिषद की 40वीं बैठक में स्वागत किया गया।

कार्य परिषद के बाह्य सदस्य- श्री त्रिलोक सिंह चीमा एवं डॉ0 राकेश रस्तोगी द्वारा कार्य परिषद की 40वीं बैठक में प्रतिभाग नहीं किया गया।

समस्त सदस्यों के स्वागतोपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्तुत कार्यसूची में सम्मिलित प्रत्येक प्रस्ताव को सदस्य सचिव, कार्य परिषद द्वारा परिषद के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। कार्य परिषद द्वारा प्रत्येक प्रस्ताव का अवलोकन कर सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्तावों पर निम्नवत् अनुमोदन प्रदान किया गया:-


Registrar
Uttarakhand Open University
Haldwani (Nainital)

2


कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

प्रस्ताव संख्या 40.01- कार्य परिषद की 38वीं बैठक दिनांक 04.11.2023 एवं 39वीं बैठक (विश्वविद्यालय के अष्टम दीक्षान्त समारोह से पूर्व एक सूत्रीय कार्यसूची) दिनांक 13.12.2023 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि कार्य परिषद की 38वीं बैठक दिनांक 04.11.2023 का कार्यवृत्त विश्वविद्यालय के पत्र संख्या-यू0ओ0यू0/ आर/कार्य0परि0/38/2023, दिनांक 04.11.2023 द्वारा सभी सम्मानित सदस्यों के मध्य इस अनुरोध के साथ परिचालित किया गया था कि यदि कार्यवृत्त के किसी बिन्दु पर असहमति हो, किसी मद में कोई अंश छूट गया हो, अथवा कोई संशोधन अपेक्षित हो तो यथासमय विश्वविद्यालय को अवगत करा दिया जाय। तदनुसार परिचालित कार्यवृत्त पर माननीय सदस्यों से कोई असहमति/संशोधन प्राप्त नहीं हुआ है। साथ ही उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय का अष्टम दीक्षान्त समारोह दिनांक 27 दिसम्बर, 2023 को आयोजित किये जाने संबंधी माननीय श्री राज्यपाल/ कुलाधिपति जी से प्राप्त स्वीकृति के क्रम में विश्वविद्यालय कार्य परिषद की 39वीं बैठक दिनांक 13.12.2023 को (एक सूत्रीय कार्यसूची) आयोजित की गयी। कार्य परिषद के समस्त सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से सहमति/अनुमोदन प्रदान किया गया है।

निर्णय- कार्य परिषद द्वारा प्रस्ताव से अवगत होते हुए पुनरावलोकन के उपरान्त सर्वसम्मति से 38वीं बैठक दिनांक 04 नवम्बर, 2023 एवं 39वीं बैठक (एक सूत्रीय कार्यसूची) दिनांक 13 दिसम्बर, 2023 के कार्यवृत्त की पुष्टि करते हुए यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 40.02- कार्य परिषद की 38वीं बैठक दिनांक 04.11.2023 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही।

कार्य परिषद की 38वीं बैठक दिनांक 04.11.2023 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही में सम्मिलित समस्त प्रस्तावों पर हुई कार्यवाही से सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को विस्तार से अवगत कराया गया।

निर्णय:- कार्य परिषद द्वारा कृत कार्यवाही में सम्मिलित समस्त प्रस्तावों से अवगत होते हुए, की गयी कृत कार्यवाही पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 40.03- विश्वविद्यालय में लोकपाल (Ombudsperson) की नियुक्ति किये जाने हेतु माननीय राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या-9959/जी0एस0 (शिक्षा)/J-124/ 2024, दिनांक 07 फरवरी, 2024 के संबंध में विचार।

सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में लोकपाल (Ombudsperson) की नियुक्ति किये जाने हेतु माननीय राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय, उत्तराखण्ड द्वारा पत्र संख्या-9959/जी0एस0(शिक्षा)/J-124/2024, दिनांक 07 फरवरी, 2024 के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को एक पत्र प्रेषित किया गया है। संबंधित पत्र के साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 2024 को प्रेषित पत्र भी संलग्न किया गया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अपने पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि यू0जी0सी0 द्वारा दिनांक 11 अप्रैल, 2023 को आधिकारिक राजपत्र में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायतों का निवारण)



Registrar
Uttarakhand Open University
Haldwani (Nainital)

3



कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

विनियम-2023 को अधिसूचित करते हुए दिनांक 12 अप्रैल, 2023 के पत्र द्वारा विश्वविद्यालयों से विनियम की अधिसूचना के 30 दिनों के भीतर लोकपाल नियुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया था। तदुपरान्त 05 दिसम्बर, 2023 को प्रेषित अनुस्मारक में यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि विश्वविद्यालयों को लोकपाल नियुक्त करना होगा और प्राविधानों का पालन करना होगा। दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 तक उपरोक्त विनियमों का पालन न करने वाले विश्वविद्यालयों के नाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपनी वेबसाईट पर डिफॉल्ट विश्वविद्यालयों के रूप में प्रकाशित कर देगा। पत्र के साथ डिफॉल्ट विश्वविद्यालयों की सूची भी संलग्न की गयी है जिसमें उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय का नाम नहीं है। अतएव विश्वविद्यालय में लोकपाल (Ombudsperson) की नियुक्ति किये जाने हेतु माननीय राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्रेषित पत्र के क्रम में प्रस्ताव माननीय कार्य परिषद के विचारार्थ/निर्णय हेतु प्रस्तुत किया गया है।

निर्णय:- कार्य परिषद द्वारा माननीय राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्रेषित पत्र की प्रत्याशा में प्रस्तुत प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी तथा इस संबंध में शासन से दिशा-निर्देश प्राप्त किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किये जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 40.04- डॉ0 दिनेश कुमार, सह-आचार्य, शिक्षाशास्त्र के अन्यत्र चयन होने पर देय असाधारण अवकाश एवं धारणाधिकार के संबंध में सूचना।

सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि डॉ0 दिनेश कुमार, सह-प्राध्यापक, शिक्षाशास्त्र का इंदिरा गॉंधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक (मध्य प्रदेश) में प्राध्यापक, शिक्षाशास्त्र के पद पर चयन होने के फलस्वरूप माननीय कुलपतिजी के अनुमोदनोपरान्त विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय छः परिनियम 32(5) में वर्णित असाधारण अवकाश की व्यवस्थानुसार दिनांक 13.02.2024 से दिनांक 12.02.2026 तक कुल 02 वर्ष का असाधारण अवैतनिक अवकाश एवं विश्वविद्यालय के शिक्षकों का अन्यत्र चयन होने की दशा में उनके धारणाधिकार के संबंध में कार्य परिषद की 9वीं बैठक दिनांक 04 अक्टूबर, 2013 के क्रम में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में माननीय कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त स्वीकृत किया गया है। तदक्रम में प्रस्ताव माननीय कार्य परिषद के अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।


निर्णय:- कार्य परिषद द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर कुलपतिजी के निर्णय पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 40.05- डॉ0 अखिलेश कुमार नवीन, प्राध्यापक, विधि को उनके प्रार्थना-पत्र दिनांक 28 अगस्त, 2023 के क्रम में विश्वविद्यालय सेवाओं से कार्यमुक्त किये जाने के संबंध में सूचना।

सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि डॉ0 अखिलेश कुमार नवीन, प्राध्यापक, विधि द्वारा दिनांक 28.08.2023 को माननीय कुलपति जी को सम्बोधित प्रार्थना-पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया है कि उनका विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, विधि पद पर स्थायीकरण, जो कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन है, को विलंबित करते हुए उनके पूर्व विभाग सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा जिस पर उन्हें धारणाधिकार प्राप्त है, पर


Registrar
Uttarakhand Open University
Haldwani (Nainital)

4


कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त कर दिया जाय। उक्तानुसार डॉ० अखिलेश कुमार नवीन, प्राध्यापक, विधि को उनके प्रार्थना-पत्र दिनांक 28 अगस्त, 2023 के क्रम में माननीय कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त पूर्व विभाग सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा में योगदान देने के लिए दिनांक 27 दिसम्बर, 2023 के अपरान्ह में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्यमुक्त कर दिया गया है। तदक्रम में प्रस्ताव माननीय कार्य परिषद के अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय:- कार्य परिषद द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर कुलपतिजी के निर्णय पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 40.06- विश्वविद्यालय में अल्पकालिक/अस्थाई आधार पर नियोजित असिस्टेंट प्रोफेसर (ए.सी.), प्रशासनिक परामर्शदाता, तकनीकी परामर्शदाता तथा कैमरामैन व वीडियो एडिटर के कार्यकाल विस्तारीकरण के संबंध में सूचना।

सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में पर्याप्त शैक्षिक/शिक्षणोत्तर पदों का सृजन न होने के कारण शैक्षिक/तकनीकी/प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन हेतु विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय-तीन (धारा-11(1)) परिनियम 4(19) के अधीन प्रथम अध्यादेश के अध्याय-8 में वर्णित व्यवस्थानुसार कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के दक्षतापूर्ण संचालन की आवश्यकता हेतु समय-समय पर अल्पकालिक नियुक्ति जो एक बार में छः माह से अनधिक हो, किये जाने का प्राविधान है। तदनुसार समय-समय पर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर(ए.सी.) प्रशासनिक परामर्शदाता, तकनीकी परामर्शदाता तथा कैमरामैन व वीडियो एडिटर का नियोजन किया जाता रहा है। वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर(ए.सी.), प्रशासनिक एवं तकनीकी परामर्शदाताओं की छः माह की सेवा विस्तारीकरण अवधि दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 को पूर्ण होने के फलस्वरूप माननीय कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त एक दिन के सेवा व्यवधान के साथ दिनांक 02 जनवरी, 2024 से दिनांक 30 जून, 2024 तक (छः माह) सेवा विस्तारित की गयी है।

उक्त के अतिरिक्त कैमरामैन एवं वीडियो एडिटर की छः माह की सेवा विस्तारीकरण अवधि दिनांक 28 फरवरी, 2024 को पूर्ण होने के फलस्वरूप माननीय कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त एक दिन के सेवा व्यवधान के साथ दिनांक 01 मार्च, 2024 से दिनांक 31 अगस्त, 2024 तक (छः माह) सेवा विस्तारित की गयी है। तदक्रम में प्रस्ताव माननीय कार्य परिषद के सूचनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय:- कार्य परिषद द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर विश्वविद्यालय परिनियमावली में वर्णित व्यवस्थानुसार माननीय कुलपतिजी द्वारा लिये गये निर्णय पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।


प्रस्ताव संख्या 40.07- श्री प्रदीप कुमार, सहायक आचार्य, संगीत को उनके प्रार्थना-पत्र दिनांक 18.01.2024 के क्रम में परीक्षा संबंधी कार्यों में सम्मिलित किये जाने पर विचार।

सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि श्री प्रदीप कुमार, सहायक प्राध्यापक, संगीत द्वारा संगीत विभाग की जनवरी, 2022 में आयोजित मौखिक परीक्षाओं तथा कार्यशालाओं हेतु विभिन्न विषय विशेषज्ञों के देयकों के भुगतान हेतु प्रस्तुत बीजकों में परीक्षा नियंत्रक के फर्जी हस्ताक्षर किये गये थे, जिसकी पुष्टि स्वयं परीक्षा नियंत्रक



Registrar
Uttarakhand Open University
Haldwani (Nainital)

5


कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

द्वारा की गयी। इस प्रकरण को विश्वविद्यालय कार्य परिषद की 37वीं बैठक दिनांक 11.07.2023 में प्रस्तुत किया गया था, जिस पर कार्य परिषद द्वारा निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया:-

"कार्य परिषद द्वारा प्रकरण को अति संवेदनशील मानते हुए सम्यक विचारोपरान्त श्री प्रदीप कुमार, सहायक प्राध्यापक संगीत के इस कृत हेतु एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोके जाने एवं परीक्षा संबंधी बीजकों को सत्यापित किये जाने पर 03 वर्ष का प्रतिबन्ध लगाने पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।"

कार्य परिषद के निर्णय के क्रम में श्री प्रदीप कुमार द्वारा माननीय कुलपति जी को प्रेषित प्रार्थना-पत्र दिनांक 18.01.2024 के माध्यम से अनुरोध किया गया है कि उन्हें परीक्षा संबंधी कार्यों यथा प्रश्न-पत्र निर्माण, आंतरिक परीक्षक, प्रश्न-पत्र समीक्षक इत्यादि के दायित्वों से अलग रखा जा रहा है, जबकि कार्य परिषद द्वारा केवल परीक्षा संबंधी बीजकों को सत्यापित किये जाने पर 03 वर्ष का प्रतिबन्ध लगाया गया है। श्री प्रदीप कुमार द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र में परीक्षा संबंधी उक्त कार्यों में सम्मिलित किये जाने का अनुरोध किया गया है। तदक्रम में प्रकरण माननीय कार्य परिषद के अवलोकनार्थ/विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय:-

कार्य परिषद द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर सम्यक विचारोपरान्त श्री प्रदीप कुमार, सहायक आचार्य, संगीत को विश्वविद्यालय के परीक्षा संबंधी समस्त कार्यों में इस चेतावनी के साथ सम्मिलित किये जाने पर, कि भविष्य में इनके द्वारा इस प्रकार के कृत्य की पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी, से संबंधित लिखित में एक वचन-पत्र लिये जाने के उपरान्त श्री प्रदीप कुमार पर लगाये प्रतिबन्ध को समाप्त करने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 40.08- विश्वविद्यालय के क्रेन्द्रीय पुस्तकालय में रक्षित विभिन्न विषयों से संबंधित निष्प्रयोज्य पत्रिकाओं के विनिष्टीकरण के संबंध में विचार।

सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के क्रेन्द्रीय पुस्तकालय में विगत वर्षों में विभिन्न विषयों से संबंधित पत्रिकाएं मंगाई गई थी। वर्तमान में इन पत्रिकाओं की वैद्यता समाप्त हो चुकी हैं, जिस कारण संबंधित पत्रिकाएं अब अनुपयोगी हैं। इन पत्रिकाओं की संख्या लगभग 1800 है। चूंकि उपरोक्त पत्रिकाएं विश्वविद्यालय हेतु उपयोगी नहीं है अतः इन पत्रिकाओं के विनिष्टीकरण के संबंध में प्रस्ताव माननीय कार्य परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।

निर्णय:-

कार्य परिषद द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया कि विश्वविद्यालय के क्रेन्द्रीय पुस्तकालय में रक्षित अनुपयोगी पत्रिकाओं का एक समिति के माध्यम से उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के तहत विनिष्टीकरण कर दिया जाय। समिति गठित किये जाने हेतु माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया गया।



Registrar
Uttarakhand Open University
Haldwani (Nainital)



कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

प्रस्ताव संख्या 40.09- विश्वविद्यालय में विगत कई वर्षों से विभिन्न माध्यमों से नियोजित अस्थायी कार्मिकों का आकस्मिक निधन होने के फलस्वरूप उनके आश्रितों द्वारा विश्वविद्यालय में प्रस्तुत प्रार्थना-पत्रों के क्रम में मृतक आश्रित के रूप में नियोजित किये जाने के संबंध में विचार/निर्णय।

सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में विगत कई वर्षों से विभिन्न माध्यमों से नियोजित 03 अस्थायी कार्मिकों, जिनका विवरण निम्नवत है, का आकस्मिक निधन होने के फलस्वरूप उनके आश्रितों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्रों के माध्यम से उन्हें विश्वविद्यालय में मृतक आश्रित के रूप में नियोजित किये जाने का अनुरोध किया गया है:-

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	नियोजन की प्रकृति	मृतक आश्रित का नाम	मृतक आश्रित की शैक्षिक योग्यता
1.	स्व० मनोज कुमार शर्मा	कम्प्यूटर लिट्रेट क्लर्क	शासन द्वारा आउटसोर्स में सृजित पद के सापेक्ष बाह्य सेवा प्रदाता संस्था उपनल के माध्यम से नियोजित	श्रीमती ज्योति शर्मा	स्नातकोत्तर एवं बी०एड० विशिष्ट शिक्षा
2.	स्व० गुणनिधि सिंह बिष्ट	कुशल श्रेणी कार्मिक के रूप में	बाह्य सेवा प्रदाता संस्था के माध्यम से दैनिक मजदूरी के आधार पर नियोजित	श्रीमती रेखा बिष्ट	स्नातकोत्तर
3.	स्व० पुष्पेश जोशी	असिस्टेंट प्रोफेसर (ए.सी.) वनस्पति विज्ञान	अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत छः माह की अनधिक अवधि हेतु नियोजित	डॉ० प्रीति जोशी	पीएच.डी. भौतिक विज्ञान

निर्णय:-

प्रस्ताव पर कार्य परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि चूंकि सभी कार्मिक अस्थायी सेवा में नियोजित थे, अतः मृतक आश्रित के रूप में नियोजित किया जाना संभव नहीं है। यदि विश्वविद्यालय अपनी कार्य आवश्यकता के दृष्टिगत भविष्य में अपने स्वयं के संसाधनों/बाह्य स्रोत से कार्मिकों का नियोजन करता है तो उसमें संबंधित आश्रितों को वरीयता दी जा सकती है।

प्रस्ताव संख्या 40.10- विश्वविद्यालय द्वारा नियोजित वर्ष 2010 से अद्यतन कार्यरत 13 कार्मिकों को विनियमितकरण नियमावली-2013 में सम्मिलित किये जाने के संबंध में प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर विचार।

सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में शिक्षणेत्तर वर्ग का कोई पद सृजित न होने के कारण विश्वविद्यालय द्वारा प्रशासनिक कार्यों के सम्पादन हेतु विज्ञापन के माध्यम से तथा कार्य परिषद की प्रथम बैठक में पारित निर्णयानुसार कुलपति जी को कर्मचारियों को नियुक्त करने हेतु अधिकृत किये जाने की संस्तुति के क्रम में नितान्त अस्थायी व्यवस्था के रूप में इन कार्मिकों का नियोजन लेखाकार/सहायक लेखाकार/सहायक/परामर्शदाता पदनाम से निश्चित मानदेय पर दिनांक 30 जून, 2010 तक की अवधि के लिए किया गया। शासन द्वारा शासनादेश संख्या-13/XXIV(6)/2010, दिनांक 06 जुलाई, 2010 तथा 53/XXIV(6)/2011, दिनांक 02 फरवरी, 2011 द्वारा विश्वविद्यालय हेतु आउटसोर्स के माध्यम से पूरित किये जाने हेतु पद सृजित किये गये। उक्त शासनादेशों के



Registrar
Uttarakhand Open University
Haldwani (Nainital)

7



कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

माध्यम से सृजित पदों पर तदसमय विश्वविद्यालय में नियोजित 13 कार्मिकों को जुलाई, 2010 से बाह्य सेवा प्रदाता संस्था HILTRON के माध्यम से समायोजित किया गया। तदुपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रबंध निदेशक, उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड, देहरादून को बाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से कार्मिकों के समायोजन का प्रस्ताव प्रेषित किया गया जिसमें कार्मिकों की सूची में उक्त 13 कार्मिकों का नाम भी सम्मिलित है। मई, 2011 से अद्यतन समस्त 13 कार्मिक निरन्तर उपनल के माध्यम से विश्वविद्यालय में सेवारत हैं। उक्त कार्मिकों द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया कि संबंधित 13 कार्मिकों का प्रथम नियोक्ता विश्वविद्यालय है, अतः विनियमितिकरण नियमावली-2013 जो कि माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन थी उस पर न्यायालय द्वारा आदेश पारित कर दिया गया है जिसके अनुसार अब 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारी विनियमितिकरण के पात्र होंगे। तदक्रम में प्रस्ताव माननीय कार्य परिषद के विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय:- कार्य परिषद द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा नियोजित वर्ष 2010 से अद्यतन कार्यरत 13 कार्मिकों एवं विश्वविद्यालय में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके अन्य उपनल कार्मिकों को विनियमितिकरण नियमावली-2013 में सम्मिलित किये जाने पर विधिक राय ले ली जाय। विधिक राय के उपरान्त ही विश्वविद्यालय द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जाय।

प्रस्ताव संख्या 40.11- विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की 17वीं बैठक दिनांक 27.02.2024 की संस्तुतियों का अनुमोदन।

निर्णय:- कार्य परिषद द्वारा प्रस्ताव से अवगत होते हुए विश्वविद्यालय परीक्षा समिति की 17वीं बैठक दिनांक 27.02.2024 की संस्तुतियों पर सर्वसम्मति से यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 40.12- विश्वविद्यालय की भवन निर्माण समिति की 16वीं बैठक दिनांक 27.02.2024 की संस्तुतियों का अनुमोदन।

निर्णय:- कार्य परिषद द्वारा प्रस्ताव से अवगत होते हुए विश्वविद्यालय की भवन निर्माण समिति की दिनांक 27, फरवरी, 2024 को सम्पन्न 16वीं बैठक की संस्तुतियों पर सर्वसम्मति से यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 40.13- विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की 28वीं बैठक दिनांक 02.03.2024 की संस्तुतियों का अनुमोदन।

सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की दिनांक 02 मार्च, 2024 को सम्पन्न 28वीं बैठक की संस्तुतियां एवं योग तथा वाणिज्य विषय में पीएच.डी. शोधार्थियों की विभिन्न तिथियों में


Registrar
Uttarakhand Open University
Haldwani (Nainital)

8


कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

सम्पन्न मौखिक परीक्षा की आख्या को माननीय कुलपति जी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसका विवरण निम्नवत् है। माननीय कार्य परिषद के अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है:-

पीएच .डी. शोधार्थी का नाम	नामांकन संख्या	शोध निर्देशक	पीएच .डी. मौखिक परीक्षा की तिथि	विषय	शोध शीर्षक
श्री सुनील कुमार	14056636	डॉ0 भानु प्रकाश जोशी	24 जनवरी, 2024	योग	"पुलिस कर्मियों के कर्तव्य निष्पादन विषयक तनाव प्रबंधन में योगाभ्यास की भूमिका एक प्रायोगिक अध्ययन"
श्री उदित पाण्डेय	12025061	डॉ0 सुमित प्रसाद	27 जनवरी, 2024	प्रबंध अध्ययन	Impact of Organizational environment on Teacher's Retention: A Comparative Study of Public and Private Professional Higher Education Institution of Uttarakhand

निर्णय:-

कार्य परिषद द्वारा प्रस्ताव से अवगत होते हुए विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की 28वीं बैठक दिनांक 02.03.2024 को सम्पन्न 16वीं बैठक की संस्तुतियों तथा योग एवं वाणिज्य विषय में पीएच.डी. शोधार्थियों की विभिन्न तिथियों में सम्पन्न मौखिक परीक्षा की आख्या पर माननीय कुलपति जी द्वारा दी गयी स्वीकृति पर सर्वसम्मति से यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया।


प्रस्ताव संख्या 40.14- विश्वविद्यालय की वित्त समिति की 17वीं बैठक दिनांक 04.03.2024 की संस्तुतियों का अनुमोदन।

निर्णय:-

कार्य परिषद द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय की वित्त समिति की 17वीं बैठक दिनांक 04.03.2024 की संस्तुतियों के "मद संख्या-17.14" में निम्नवत् संशोधन करते हुए शेष कार्यवृत्त पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया:-

मद संख्या-17.14- उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में कार्यरत नियमित शिक्षकों को अर्जित अवकाश का नकदीकरण एवं उपादान की व्यवस्था किए जाने के संबंध में विचार- कार्य परिषद द्वारा इस संबंध में इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली व अन्य नियामक संस्थाओं में प्रचलित नियमों के आधार पर एक प्रस्ताव तैयार किये जाने के लिए एक परीक्षण समिति का गठन किये जाने हेतु माननीय कुलपति जी को अधिकृत करते हुए समिति की संस्तुतियां आगामी कार्य परिषद में प्रस्तुत किये जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।


Registrar
Uttarakhand Open University
Haldwani (Nainital)


कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

प्रस्ताव संख्या 40.15- अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव।

प्रस्ताव संख्या 40.15.01- वित्त (वे0आ0सा0नि0) अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-XXVII(7)/E-41734/2022, दिनांक 25 सितम्बर, 2023 में उल्लिखित अवकाशों को विश्वविद्यालय में दैनिक पारिश्रमिक एवं अल्पकालिक आधार पर नियोजित कार्मिकों पर लागू किये जाने के संबंध में गठित समिति की संस्तुतियों पर विचार।

सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7 उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-XXVII(7)/E-41734/2022, दिनांक 25 सितम्बर, 2023 में उल्लिखित अवकाशों को विश्वविद्यालय में दैनिक पारिश्रमिक एवं अल्पकालिक आधार पर नियोजित कार्मिकों पर लागू किये जाने संबंधी प्रकरण पर कार्य परिषद की 38वीं बैठक दिनांक 04 नवम्बर, 2023 के प्रस्ताव संख्या- 38.17.01 पर दिये गये निर्णय के क्रम में माननीय कुलपति जी द्वारा गठित समिति की दिनांक 02 फरवरी, 2024 को निदेशक, अकादमिक की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक की संस्तुतियां पर माननीय कार्य परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णय:- कार्य परिषद द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर विश्वविद्यालय में अल्पकालिक आधार पर नियोजित सहायक आचार्यों (ए.सी.), तकनीकी परामर्शदाताओं, कैमरामैन, वीडियो एडिटर एवं प्रशासनिक परामर्शदाताओं को शासनादेश की व्यवस्थानुसार अवकाश अनुमन्य करते हुए बाह्य सेवा प्रदाता संस्था के माध्यम से दैनिक पारिश्रमिक के आधार पर नियोजित कार्मिकों हेतु संबंधित संस्था में व्यवस्था होने पर ही यह व्यवस्था लागू किये जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 40.15.02- मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित याचिका संख्या 616 ऑफ/2018 (एस0/बी0) पर मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22 फरवरी, 2024 के क्रम में विश्वविद्यालय स्थापना वर्ष 2005-06 से नियत मानदेय के आधार पर नियोजित 03 संविदा कर्मियों को विनियमितीकरण नियमावली-2013 के अन्तर्गत विनियमित किये जाने के संबंध में।

सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय स्थापना वर्ष 2005-06 से नियत मानदेय के आधार पर विश्वविद्यालय संविदा पर कार्यरत 03 कार्मिकों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित याचिका संख्या 616ऑफ/2018 (एस0/बी0) पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2024 को पारित आदेश के क्रम में विश्वविद्यालय में सृजित एवं रिक्त कनिष्ठ सहायक पदों पर विनियमितीकरण का लाभ अनुमन्य किये जाने का अनुरोध किया गया है। प्रकरण पर समस्त तथ्य व पूर्व की कार्यवाही का विवरण कार्य परिषद के अवलोकनार्थ निम्नवत् है-

1. विश्वविद्यालय कार्य परिषद की 14वीं बैठक दिनांक 09 सितम्बर, 2016 में विश्वविद्यालय स्थापना वर्ष 2005-06 से नियोजित 11 तृतीय श्रेणी कार्मिकों के विनियमितीकरण के संबंध में कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या 1298/XXX(2)/2013-3(1)/2006, दिनांक 30 दिसम्बर, 2013 को अंगीकृत किये जाने संबंधी प्रस्ताव संख्या 14.15 पर कार्य परिषद द्वारा सहमति प्रदान करते हुए नियमावली के अनुरूप विनियमितीकरण के निर्देश दिये गये, जिसके सापेक्ष तदसमय 08 कार्मिकों को कनिष्ठ सहायक पद पर विनियमित किया जा चुका है। प्रश्नगत 03 कार्मिकों की लिपिक के रूप में 05 वर्ष की सेवा न होने के कारण तदसमय उनको विनियमित नहीं किया जा सका।
2. कार्मिक अनुभाग-2 उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 337/XXX(2)/2016/03 (01)2006, दिनांक 14 दिसम्बर, 2016 द्वारा विनियमितीकरण नियमावली 2013 के नियम 4(1) में प्रतिस्थापन कर


Registrar
Uttarakhand Open University
Haldwani (Nainital)

10


कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

विनियमितीकरण (संशोधन) नियमावली, 2016 प्रख्यापित की गयी, जिसमें विनियमितीकरण संबंधी अन्य प्रक्रियाएं यथा-चयन समिति का गठन, अंतिम पात्रता सूची का निर्धारण इत्यादि विनियमितीकरण नियमावली-2013 के अनुसार थीं। उपरोक्त प्रार्थीगणों में से तदसमय विचारित 02 कार्मिकों के मध्य संयुक्त पात्रता सूची परिचालित की गई, किन्तु मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में विनियमितीकरण नियमावली 2016 के अपास्त होने के कारण प्रश्नगत् कार्मिकों के विनियमितीकरण की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो सकी।

3. प्रश्नगत् 03 कार्मिकों की विश्वविद्यालय में प्रथम नियुक्ति चतुर्थ श्रेणी के रूप में हुई। श्री मोहन चन्द एवं श्री सत्येन्द्र सिंह रावत को 01 मार्च, 2010 में तथा श्री दिनेश कुमार को 01 मई, 2013 में लिपिक के रूप में प्रत्यावर्तित किया गया। उक्त कार्मिकों के विश्वविद्यालय में प्रथम नियोजन के समय चतुर्थ श्रेणी तथा लिपिकीय वर्ग में कोई पद स्वीकृत न होने के कारण प्रश्नगत् कार्मिकों की दोनों श्रेणियों में की गयी सेवाओं को जोड़कर उन्हें विनियमितीकरण नियमावली-2013 का लाभ अनुमन्य किये जाने संबंधी प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय कार्य परिषद की 24वीं बैठक दिनांक 25 फरवरी, 2019 में कार्य परिषद द्वारा महाधिवक्ता से राय लेने के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया। महाधिवक्ता से विधिक परामर्श मा0 मुख्यमंत्री तथा श्री राज्यपाल/कुलाधिपति जी की संस्तुति पर प्राप्त किया जा सकता है, जिस कारण अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए विश्वविद्यालय के अधिवक्ता से विधिक परामर्श लिया गया। अधिवक्ता का विधिक परामर्श निम्नवत् है-

“It is also relevant to mention here that as per the bye-laws no. 35(9) the University and the concerned statutory body have full power to appoint the officials for the University as per the requirement and the vacant sanctioned post of Junior Clerk therein. As such, the above mentioned employees were entitled to be regularized initially, but they have not been regularized. So in my opinion three persons aforementioned can be regularized on the post of Junior Clerk.”

4. अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त विधिक परामर्श को विश्वविद्यालय कार्य परिषद की 25वीं बैठक दिनांक 02 सितम्बर, 2019 के प्रस्ताव संख्या 25.18 में कार्य परिषद के विचारार्थ/अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया, जिस पर कार्य परिषद द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त संबंधित 03 कार्मिकों श्री मोहन चन्द्र, श्री सत्येन्द्र रावत एवं श्री दिनेश कुमार को पूर्व में विनियमित हुए अन्य कार्मिकों की भांति विनियमितीकरण नियमावली-2013 का लाभ अनुमन्य करते हुए इनकी पुरानी सेवाओं को जोड़कर जूनियर क्लर्क के पद पर विनियमित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्य परिषद के उक्त अनुमोदन के अनुपालन में गतिमान कार्यवाही के समय संज्ञान में आया कि कार्मिक अनुभाग-2 उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 368/XXX(2)/18/ 3(1)/2006, दिनांक 11 दिसम्बर, 2018 द्वारा दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों की विनियमितीकरण नियमावली, 2013 के आधार पर अग्रिम 10 दिनों तक कोई विनियमितीकरण न किये जाने संबंधी निर्देश निर्गत किये गये थे, जिसके अनुक्रम में मा0 उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या 616/एस0बी0/2018 श्री नरेन्द्र सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14.12.2018 को सुनवाई के दौरान विनियमितीकरण नियमावली, 2013 को स्थगित कर दिया गया था।

5. योजित याचिका की स्थिति तथा संबंधित 03 कार्मिकों के विनियमितीकरण का प्रस्ताव शासन को पुनः संदर्भित किया गया, तदक्रम में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि विनियमितीकरण नियमावली, 2013 के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित हैं तथा विनियमितीकरण नियमावली, 2016 अपास्त की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में संबंधित 03 कार्मिकों का विनियमितीकरण किया जाना संभव नहीं है। कोई भी नियुक्ति या विनियमितीकरण के संबंध में समय-समय पर निर्गत


Registrar
Uttarakhand Open University
Haldwani (Nainital)


कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (Nainital)

आदेशों का कड़ाईपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। उपरोक्त स्थिति में संबंधित 03 कार्मिकों का विनियमितीकरण नहीं किया गया है।

6. विनियमितीकरण नियमावली-2013 पर मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित याचिका संख्या 616/एस0बी0/2018 श्री नरेन्द्र सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2024 को निम्नवत् आदेश पारित किया गया है—
- “In the present case, there was an interim order of stay dated 04.12.2018, that no orders of regularization will be passed by the State Government, under the 2013 Rules. Hence, since 04.12.2018 no regularization orders have been passed. All those persons, who have been regularized as per the 2013 Rules before 04.12.2018, have worked for more than 13-14 years now. With respect to other candidates, who have to be regularized now, they can be regularized, as per the 2013 Rules, by taking into consideration 10 year's service, instead of 05 years, as of now.”
- “Accordingly, the 2013 Rules are being modified that, after 04.12.2018, 10 year's will be taken into consideration for regularization.”

श्री मोहन चन्द्र एवं श्री सत्येन्द्र सिंह रावत दिनांक 01 मार्च, 2010 से तथा श्री दिनेश कुमार दिनांक 01 मई, 2013 से लिपिक के रूप में सेवायें दे रहे हैं। आतिथि तक तीनों कार्मिकों की लिपिक के रूप में 10 वर्ष से अधिक की सेवा पूर्ण हो चुकी है। उपरोक्तानुसार, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित याचिका संख्या 616 ऑफ/2018 (एस0/बी0) पर मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22 फरवरी, 2024 के क्रम में विश्वविद्यालय स्थापना वर्ष 2005-06 से नियत मानदेय के आधार पर नियोजित 03 संविदा कर्मियों के विनियमितीकरण का प्रस्ताव कार्य परिषद के विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय:-

कार्य परिषद द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर सम्यक विचारोपरान्त माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2024 को पारित निर्णय के अनुपालन में शासन की स्वीकृति की प्रत्याशा में विश्वविद्यालय स्थापना वर्ष 2005-06 से नियत मानदेय पर नियोजित 03 कार्मिकों- श्री सत्येन्द्र सिंह, श्री मोहन चन्द्र एवं श्री दिनेश कुमार को विनियमितीकरण नियमावली-2013 के अनुपालन में इस प्रतिबन्ध के साथ विनियमित किये जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया कि संबंधित प्रकरण पर उत्तराखण्ड सरकार से जो भी दिशा-निर्देश प्राप्त होंगे, इन कार्मिकों को मान्य होगा। अतएव कार्य परिषद में पारित निर्णय की तिथि दिनांक 07 मार्च, 2024 से उक्त 03 कार्मिकों से लिखित में एक वचन पत्र लेकर नियुक्ति प्रदान कर दी जाय।

प्रस्ताव संख्या 40.15.03- उपनल के माध्यम से अधिकारी वर्ग में विधि अधिकारी/प्रभारी सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ के रूप में नियुक्ति के संबंध में विचार।

सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि शासन द्वारा आउटसोर्स में सृजित कम्प्यूटर लिट्रेट क्लर्क के पद पर बाह्य सेवा प्रदाता संस्था उपनल के माध्यम से वर्ष 2012 से विश्वविद्यालय में नियोजित श्री मनमोहन त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया है कि उनकी दीर्घकालीन सेवा एवं शैक्षिक योग्यता के आधार पर उन्हें आउटसोर्स के माध्यम से अधिकारी वर्ग में विधि अधिकारी के पद पर नियोजित किया जाय। तदक्रम में विश्वविद्यालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्री सी0एस0 रावत से विधिक राय ली गयी जिसमें


Registrar
Uttarakhand Open University
Haldwani (Nainital)

12


कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

अधिवक्ता द्वारा उल्लेख किया गया है कि विश्वविद्यालय अपने स्तर पर संबंधित प्रकरण पर निर्णय ले सकता है। अतएव प्रस्ताव माननीय कार्य परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय:- कार्य परिषद द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्री सी0एस0 रावत द्वारा दी गयी विधिक राय का संज्ञान लेते हुए आउटसोर्स में विधि अधिकारी का पद सृजित किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 40.15.04- श्री भूपेन सिंह, सहायक प्राध्यापक, पत्रकारिता को दिनांक 02 मार्च, 2024 को निर्गत कारण बताओ नोटिस से संबंध में प्राप्त स्पष्टीकरण पर विचार।

सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि श्री भूपेन सिंह, सहायक प्राध्यापक, पत्रकारिता दिनांक 02 मार्च, 2024 को कुलपति कार्यालय में तैनात कर्मियों के रोकने के पश्चात भी माननीय कुलपति जी की अनुमति के बगैर उनके कक्ष में दाखिल हुए, जहाँ बाह्य अतिथियों की माननीय कुलपति जी से वार्ता चल रही थी। श्री भूपेन सिंह द्वारा विद्या परिषद की बैठक दिनांक 02 मार्च, 2024 में प्रस्तुत प्रस्ताव के क्रम में बिना किसी तथ्य के कुलपति जी के सम्मुख उग्रता एवं अनुचित तरीके से अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया। इस संबंध में श्री भूपेन सिंह को विश्वविद्यालय द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसके प्रतिउत्तर में उनके द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2024 को कुलसचिव को प्रेषित पत्र में उल्लेख किया गया है कि- "आपने पत्रांक संख्या-UOU/1211/2024 के माध्यम से मुझे एक कारण बताओ नोटिस भेजा है, उसके साथ जिस शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर ये नोटिस भेजा गया है, उस शिकायत की प्रति संलग्न नहीं है। कृपया शिकायत की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे मैं आपके नोटिस का जवाब दे सकूँ।"

निर्णय:- कार्य परिषद द्वारा प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुए श्री भूपेन सिंह के उक्त कृत्य को संवेदनशील मानते हुए अनुशासनहीनता के अन्तर्गत समझा गया। प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त कर्मचारी आचरण नियमावली के तहत परीक्षण किये जाने हेतु किसी सेवानिवृत्त कुलपति की अध्यक्षता में एक जॉच समिति, जिसमें विश्वविद्यालय का कोई सदस्य सम्मिलित न हो गठित किये जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। समिति गठित किये जाने हेतु अध्यक्ष, कार्य परिषद को अधिकृत किया गया।

कार्यसूची में सूचीबद्ध समस्त प्रस्तावों एवं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्तुत अन्य प्रस्तावों पर विचार-विमर्श एवं अनुमोदन के उपरान्त कार्य परिषद के सदस्य सचिव द्वारा सभी माननीय सदस्यों विशेषकर बाह्य सदस्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए सभी का आभार व धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

अन्त में कार्य परिषद के समस्त माननीय सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद ज्ञापित कर, बैठक सम्पन्न हुई।

कुलसचिव/ सदस्य सचिव, कार्य परिषद

Registrar
Uttarakhand Open University
Haldwani (Nainital)

कुलपति/अध्यक्ष, कार्य परिषद

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (प्रस्ताव संख्या)